BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 232/2025

News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" published in The News Minute dated 26.04.2025

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Filed On Behalf Of Respondent No. 3 – District Magistrate, Saharanpur, Uttar Pradesh Along With The Supporting Affidavit.	3-10
1.	**ANNEXURE 1** Copy of Firecracker Licence No. 78/2022	11
2.	**ANNEXURE 2** FIR No. 0241/2025 registered under Sections 288, 105 & 238 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Sections 5 & 9-B of the Explosives Act, 1884	12-21
3.	**ANNEXURE 3** Suspension Order No. 01501/Arms Assistant dated 26.04.2025	22-23
4.	**ANNEXURE 4**	

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

	Copy of the letter dated 26.06.202	24

THROUGH

Priyanka

Date: 06.08.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 232/2025

News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" published in The News Minute dated 26.04.2025

REPLY FILED ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 – DISTRICT MAGISTRATE, SAHARANPUR, UTTAR PRADESH ALONG WITH THE SUPPORTING AFFIDAVIT.

1. The answering Respondent, District Magistrate, Saharanpur ("Respondent No. 3"), submits this Reply in Original Application No. 232/2025 instituted by virtue of the aforementioned news item.
2. The notice of this Hon'ble Tribunal, received on 17.07.2025, directed Respondent No. 3 to file its response by way of affidavit at least one week prior to the next date of hearing. The operative portion of the notice reads as under:

> "Issue notice to the above respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. List on 17.09.2025."

3. That on 26 April 2025, an explosion occurred at the licensed firecracker manufacturing unit of Shri Mohd. Nafees (Licence No. 78/2022) located at Khasra No. 114, Village Salempur, Majra Jadauda Jat, Tehsil Deoband, District Saharanpur. **The true copy of the licence is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1**.

4. That FIR bearing Case Crime No. 0241/2025 under Sections 288, 105, 238 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Sections 5 & 9-B of the Explosives Act, 1884 was registered at P.S. Deoband. Three labourers sustained fatal injuries in the explosion. **The true copy of FIR is annexed herewith and marked as ANNEXURE-2**.

5. That pursuant to the incident, Firecracker Licence No. 78/2022 was suspended by Office Order No. 01501/Arms Assistant dated 26.04.2025, and the licence-holder was taken into judicial custody**. The true copy of the suspension order is annexed herewith and marked as ANNEXURE-3**.

6. That Ex-gratia assistance of ₹4,00,000 (Rupees Four Lakh only) each was sanctioned to the dependents of the deceased labourers by Letter No. 331/Disaster Relief/2025-26 dated 05.06.2025 as produced below .

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

Name of the deceased	Name of the beneficiary	Date of intent	Damage	Cause of damage	Gratuitous assistance provided (₹)
Kaka, son of **Rajkumar**, aged **24 years**	**Smt. Hemlata**, wife of Kaka, resident of **Fatehpur alias Sampla Diwada**	**26.04.2025**	Loss of life	Due to fire in the firecracker factory	**4,00,000.00**
Vijay, son of **Rajbal**, aged **22 years**	**Smt. Pushpa**, wife of Rajbal, resident of **Jadauda Jat**	**26.04.2025**	Loss of life	Due to fire in the firecracker factory	**4,00,000.00**
Vishal, son of **Sandeep**, aged **22 years**	**Sandeep**, son of Brijpal, resident of **Gunarsa**	**26.04.2025**	Loss of life	Due to fire in the firecracker factory	**4,00,000.00**

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

7. That pursuant to the above letter No. 350/NGT/Disaster Expert/2025 dated 26.06.2025, the District Magistrate sought administrative instructions to comply with the Hon'ble Tribunal's direction to pay ₹20,00,000 per deceased. **That the letter dated 26.06.2025**

are annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**

8. The State authorities have acted expeditiously upon the tragic incident—registering FIR, suspending the licence, and sanctioning ex-gratia payments within statutory mandate.

9. All measures taken are in consonance with the provisions of the Explosives Act, 1884 and the guidelines issued under the Disaster Management Act, 2005.

10. The State undertakes to comply forthwith with any further directions of this Hon'ble Tribunal in the interests of environmental protection and public welfare.

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

THROUGH

Priyanka

Date: 06.08.2025
Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 232/2025

News Item titled "Massive explosion in firecrackers factory kills several in Saharanpur's Deoband" published in The News Minute dated 26.04.2025

AFFIDAVIT

I, Manish Bansal, aged about 35 years S/o Ramavtar Bansal is presently posted as District Magistrate Saharanpur, UP. Having its office at Saharanpur.

S.R.N 5091 14/8/25

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Saharanpur on this 14/08/2025 day of 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
14 AUG 2025
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary (Govt. of India)
Reg. No.-9455/12, Saharanpur (U.P.)

Identified By
पवन सिंह एडवोकेट
चैम्बर नं०-68
रजि० नं०-2403/95
कलैक्ट्रेट कोर्ट सहारनपुर
मो०-9319510560

INDIA NON JUDICIAL

11

Government of Uttar Pradesh

IN-UP90648425602612X

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP90648425602612X
Certificate Issued Date	:	14-Aug-2025 02:19 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14574504/ SAHARANPUR SADAR/ UP SHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1457450478909691174727X
Purchased by	:	MANISH BANSAL SO RAM AVTAR BANSAL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MANISH BANSAL SO RAM AVTAR BANSAL
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MANISH BANSAL SO RAM AVTAR BANSAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

REETA RANI
ACCT. NO. UP14574504

Please write or type below this line

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg.No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ

Manish Bansal

ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ DOB: 14/01/1990

ਮਰਦ / MALE

ਪਤਾ:

ਸਪੁੱਤਰ: ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਬਾਂਸਲ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 207/ਏ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਨੇੜੇ ਬਾਂਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ, ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ - 148001

Address:

S/O: Ram Avtar Bansal, House Number 207/A, Street Number 2, Near Bansal Hospital and Heart Centre, Dashmesh Avenue, Sangrur, Sangrur
Punjab - 148001

ਆਧਾਰ- [illegible] ਅਧਿਕਾਰ

Aadhaar-Aam Aumi ka Adhikar

NOTARY PUBLIC
Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Saharanpur (U.P.)
Reg. No.-9455/12
Expiry on 12/9/27
GOVT. OF INDIA

ATTESTED

Brij Mohan Singh
Advocate & Notary
Govt. of India

संलग्नक - 1

एल0ई0–1

जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के आदेश दिनांक 22.07.2022 के अर्न्तगत विस्फोटक नियम–2008 की अनुसूची–4 भाग–1 के प्रस्तर 1(क)के अर्न्तगत लाईसेंस स्वीकृत।

Licences No 78 /2022

क्षमताः–किसी एक समय पर, 15 किलोग्राम से अनधिक आतिशबाजी या बारूद या दोनो का विनिर्माण करने के लिये अनुज्ञप्ति ।

Fees Rs. 2500/–चालान संख्या जी0पी0 00031 दिनांक 25.07.2022 को जमा

Licence to manufacture, possess and sell fireworks and gun-powder in quantities not exceeding 15 kg. and to possess and sell safety fuse and the rules made thereunder, and the conditions & Site Plan is enclose.

Licence is hereby granted to: श्री मौ0नफीस पुत्र महमूद हसन निवासी म0नं0 523 मौ0 मुलतानियान कायस्थवाडा कस्बा, थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर।

This licence shall remain in force till that 31st day of March, 2027.

आतिशबाजी निर्माण का स्थानः–

खाता सं0 102 खसरा नं0 114 रकबा 816.66 वर्गगज अर्थात 683 वर्गमीटर वाके ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जटट थाना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

कानूनी चेतावनीः–विस्फोटको को गलत ढंग से चलाने या उनका दुरूपयोग विधि के अधीन गंभीर दांडिक अपराध होगा।

25/7/2022

प्रभारी अधिकारी(आयुध)/
कृते जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

एल0ई0–1 हेतु शर्ते

1–किसी एक समय में संपूर्ण कारखाने में विस्फोटको की अधिकतम मात्रा, जिसके अंतर्गत वह सामग्री भी है, जो विनिर्माण की प्रक्रिया और अनुज्ञप्त परिसर में रखी हुई है।

2–परिसर में सभी विस्फोटको को विनिर्माण ईंट, पत्थर या कंकरीट से बने मजबूत भवन में किया जायेगा अथवा उसे सुरक्षित रूप से बने अज्वलनशील तिजोरी में रखा जाएगा, जो निवास गृह, राजमार्ग, गली, सार्वजनिक आम रास्ता अन्य भवन या सार्वजनिक स्थान से पृथक या किसी अन्य अनुज्ञप्त परिसर से उतनी सुरक्षित दूरी पर होगा जो अनुज्ञप्ति और उसके संलग्नको में उल्लिखित है।

3–प्रारूप एल ई–1 की अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट विस्फोटक से भिन्न कोई विस्फोटक परिसर में नही रखा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 2

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फ़ार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): सहारनपुर
P.S. (थाना): देवबन्द Year (वर्ष): 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0241
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 26/04/2025 08:40

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	288
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238
4	विस्फोटक अधिनियम, 1884	5
5	विस्फोटक अधिनियम, 1884	9B

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): शनिवार Date From (दिनांक से): 26/04/2025 Date To (दिनांक तक): 26/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 3 Time From (समय से): 07:00 बजे Time To (समय तक): 07:00 बजे

Scanned with OKEN Scanner

(b) **Information received at P.S.** (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 26/04/2025 **Time** (समय): 08:40 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 027 **Date & Time** (दिनांक और समय): 26/04/2025 08:40 बजे

4. **Type of Information** (सूचना का प्रकार): लिखित
5. **Place of Occurrence** (घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S.** (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण, 7 किमी **Beat No.** (बीट सं.):

(b) **Address** (पता): ईगल फायर वर्क्स निहालखेडी

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State)** (ज़िला (राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्रीमती हेमलता

(b) Husband's Name (पति का नाम) : राहुल उर्फ काका

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं॰):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा,देवबन्द,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा,देवबन्द,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9068848726

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	नफीस		पिता का नाम : महमूद हसन	1. मौ0 कायस्थवाडा ,देवबन्द, सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	नदीम		पिता का नाम : नफीस	1. मौ0 कायस्थवाडा कस्बा देवबंद,देवबन्द,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	कासिफ		पिता का नाम : नफीस	1. मौ0 कायस्थवाडा कस्बा देवबंद,देवबन्द,सहारनपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
4	अज्ञात1			

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर ..... सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना देवबन्द सहारनपुर महोदय, निवेदन है कि प्रार्थीया एक अनुसूचित जाति (चमार) की महिला है, प्रार्थीया के पति काका उर्फ राहुल पुत्र रामकुमार उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला टीवडा थाना देवबन्द स0पुर व प्रार्थिया के पति के साथी विशाल पुत्र संदीप उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम गुनारसा थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर और विकास पुत्र राजबल निवासी ग्राम जडौदा जट्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर उम्र 22 वर्ष ये तीनो ईगल फायर वर्क्स निहालखेडी गांव के पास हाईवे के किनारे जो पटाका फैक्ट्री है उसमें काम करते थे। आज दिनांक 26.04.2025 को समय करीब 05.00 बजे मेरे पति काका उर्फ राहुल और विशाल व विकास तीनो फैक्ट्री पर काम करने गये थे। मुझे विकास के चाचा श्यामलाल और विशाल के भाई विशान्त ने बताया कि विकास और विशाल भी काका के साथ ही गये थे। अचानक सुबह 07 बजे मुझे सूचना मिली कि ईगल फायर वर्क्स फैक्ट्री में विस्फोट होकर आग लग

Scanned with OKEN Scanner

गई है और आग लगने के कारण धमाके से विशाल, विकास व काका के शरीरो के अंग टूकडो में इधर उधर बिखर गये है। इस सूचना पर मै अपने परिवारजनो के साथ वहाँ पर पंहुची और मौके पर विशाल का भाई विशान्त व विकास के चाचा श्यामलाल भी मौके पर आ गये। मौके पर देवबन्द थाने की पुलिस भी मौजूद थी। फैक्ट्री के चारो तरफ भीड लगी थी और आग जल रही थी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी एफएसएल टीम व पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सभी लोगो ने मिलकर आग बुझाई और हताहत व्यक्तियों को खोजने का प्रयास किया तो शवो के कुछ अंग फैक्ट्री में एवं कुछ अंग फैक्ट्री के आसपास जले हुये बिखरे मिले। तलाशी के बाद में विशाल , विकास एवं काका के शरीरो के अंगो को इकट्ठा किया गया। फैक्ट्री में विशाल, विकास एवं काका काम करते थे। इस पटाका फैक्ट्री का मालिक नफीस पुत्र महमूद हसन निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर और इसके साथ नदीम और कासिफ पुत्रगण नफीस निवासी उपरोक्त व अन्य अज्ञात व्यक्ति भी फैक्ट्री का काम देखते है। इन सभी के कहने पर विशाल, विकास व काका फैक्ट्री में काम करते थे। इस फैक्ट्री में लाईसेन्स से ज्यादा माल का भंडारण और चोरी छिपे दिन के अलावा रात्रि में भी काम किया जा रहा था। पटाको के अवशेषो से लगता है कि प्रतिबन्धित पटाखो या बारूद का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। जिससे जानबूझकर फैक्ट्री में काम करने वालो की जान को जोखिम में डाला जा रहा था। फैक्ट्री मालिक को पता था कि फैक्ट्री में अधिक माल भंडारण आदि के कारण कभी भी किसी की जान जा सकती है । आवश्यकता से अधिक पटाखो, बारूद का भंडारण करते हुये जान बूझकर नफीस आदि तीन व्यक्ति व अन्य अज्ञात के द्वारा वहाँ पर काम करने वालो की जान को जोखिम में डाला जा रहा था। इन व्यक्तियों के कारण ही विशाल , विकास व काका की मृत्यु विस्फोट होने के कारण आग में जलकर हो गई है। अनुरोध है कि उपरोक्त व्यक्तियो के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक-26/04/2025 ह0 हेमलता प्रार्थीया (हेमलता पत्नि राहुल उर्फ काका) निवासी- ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा थाना देवबन्द , जनपद सहारनपुर मो0-9068848726 नोट एफआईआर लेखक म0है0का0 292 प्रियंका शर्मा ।

Scanned with OKEN Scanner

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): SANJAY KUMAR RANA **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.** (थाना): **District** (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name PS DEOBAND
Rank I (Inspector)
No. 0945440418

Scanned with OKEN Scanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					
3	पुरुष					

Scanned with OKEN Scanner

4

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

Scanned with OKEN Scanner

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 3

पत्रांक 1501 /आयुद्ध सहायक

दिनांकः–अप्रैल 26,2025

निलम्बन आदेश/कारण बताओं नोटिस

श्री मौ0नफीस पुत्र महमूद हसन,
नि0 मौ0 मुलतियान कायस्थवाडा
थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर

आपके नाम खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर आतिशबाजी लाईसेंस 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण स्वीकृत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके आतिशबाजी इकाई में दिनांक 26.04.2025 की प्रातःकाल विस्फोट की घटना घटित हुई है, जिसमें काफी जनहानि हुई है। घटना के संबंध में थाना देवबन्द पर दर्ज मु0अ0सं0 0241/2025 अ0धारा 288/105/238 बीएनएस, 2023 व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अनुसार आपके आतिशबाजी इकाई में मजदूरी करने वाले श्रमिको 1. काका उर्फ राहुल पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.विशाल पुत्र संदीप नि0 ग्राम गुनारसा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3. विकास पुत्र राजबल नि0 ग्राम जडौदा जट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की आपकी आतिशबाजी इकाई में हुये विस्फोट से मृत्यु हो गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आपके द्वारा क्षमता से अधिक बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा था और रात्री के समय भी आतिशबाजी निर्माण कार्य किया जा रहा है। घटनास्थल पर मिले अवशेषो से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा प्रतिबंधित कैमिकल का आतिशबाजी निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके कारण आपके आतिशबाजी इकाई में भयंकर विस्फोट की घटना होने के कारण तीन श्रमिको की मृत्यू हो गई है। आपके द्वारा अपनी आतिशबाजी इकाई कें क्षमता से अधिक आतिशबाजी का निर्माण/भण्डारण करके काम करने वाले श्रमिको की जान को जोखिम में डाला गया है।

उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अपने आतिशबाजी लाईसेंस सं0 78/2022 में अनुमन्य मात्रा से अधिक विस्फोटक का प्रयोग किया जा रहा था और विस्फोटक नियमो के अनुरूप कार्य नही किया जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में आपके आतिशबाजी आतिशबाजी लाईसेंस सं0 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर पर वर्तमान स्थिति में आतिशबाजी व्यवसाय किया जाना जनहित में नहीं है।

विस्फोटक नियम–2008 के नियम 118 के उपनियम (05) में उल्लिखित है कि– "उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्द किये जाने के पूर्व निम्नलिखित मामलों में सुने जाने का अवसर नहीं दिया जा सकेगा",–

(I) जहाँ किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या इन नियमों के किन्ही उपबन्धों का या ऐसी अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के अतिकमण के लिये किसी अंतरिम के रूप में अनुज्ञप्ति निलम्बित की गयी है उसकी राय मे ऐसे अतिकमण से जनता के लिये आसन्न संकट कारित होने की सम्भावना होः

अतः आपके नाम निर्गत आतिशबाजी लाइसेंस सं0 सं0 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित एंव आतिशबाजी व्यवसाय प्रतिबंधित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 09–05–2025 की प्रातः 11:00 बजे कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करे कि क्यों न आपके नाम स्वीकृत आतिशबाजी लाइसेंस सं0 सं0 78/2022 क्षमता 15 किलोग्राम निर्माण कार्यस्थल खसरा नं0 114 ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट थाना व तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर को निरस्त कर दिया

Scanned with OKEN Scanner

जाये। यदि आपके द्वारा निर्धारित अवधि में कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और प्रकरण में समुचित आदेश पारित कर दिया जायेगा।

(मनीष बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

प्रतिलिपिः–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
2– उपजिला मजिस्ट्रेट, देवबन्द सहारनपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– क्षेत्राधिकारी, देवबन्द सहारनपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहारनपुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– थाना प्रभारी देवबन्द को 02 प्रतियो में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि एक प्रति आतिशबाजी लाईसेंसी को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति सतिथि प्राप्त कराकर लौटती डाक से इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करे एंव मौके पर निलम्बन आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

जिला मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी
सहारनपुर।

सेवा में,

सचिव एवं राहत आयुक्त
उ0प्र0 शासन
लखनऊ।

पत्रांकः 350 / NGT / आपदा विशेषज्ञ / 2025 दिनांकः 26 जून 2025

विषय– मा0 National Green Tribunal, New Delhi द्वारा ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) तहसील देवबन्द, जनपद सहारनपुर में अचानक आग लगने से हुई दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को प्रति मृतक रू0 20.00 लाख दिये जाने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु अनुरोध।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2025 को ग्राम सलेमपुर मजरा जडौदा जट्ट परगना तहसील देवबन्द जनपद सहारनपुर में स्थित ईगल फायर वर्क्स (पटाखा फैक्ट्री) में आग लगने से हुई दुर्घटना में फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर श्री काका पुत्र रामकुमार आयु 24 वर्ष निवासी फतेहपर उर्फ सांपला दीवडा व श्री विजय पुत्र राजबल आयु 22 वर्ष निवासी जडौछा जट्ट तथा श्री विशाल पुत्र संदीप आयु 22 वर्ष निवासी गुनारसा की मृत्यु हो गयी थी। उ0प्र0शासन राजस्व अनुभाग–11, संख्या–387 / एक–11–2021–4(जी0) / 20215 लखनऊ दिनांक 09.06.2021 व शासनादेश राज्य आपदा मोचन कोष (एस0डी0आर0एफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एन0डी0आर0एफ) से सहायता देने की मदों और मानदण्डों की संशोधित अवधि 2022–23 से 2025–26 गृह मंत्रालय के दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के पत्र संख्या 33–03–2020 एस0डी0आर0 एफ–1 खण्ड–2 के अनुसार प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रति मृतक रू 4.00 लाख दिये गये है।

सुश्री प्रियंका स्वामी Advocate, STATE OF U.P SENIOR PANEL, SUPREME COURT OF INDIA, STATNDING COUNSEL OF STATE OF UTTAR PRADESH FOR N.G.T, F-13, GROUND FLOOR, JANGPURA EXETENTION, NEW DELHI-110014 RESI-CUM OFFICE: CHAMBER NO.4, SHIVALIK TOWERS, KAUSHAMBI, GHAZIABAD-201010 Mob:-011-40158315, 8800656660, Email:-advpriyankaswami@gmail.com का दिनांक 25 जून 2025 को ईमेल जनपद को प्राप्त हुआ है। जिसमें National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi नई दिल्ली के O.A. No.232/2025 में उक्त घटनाक्रम में मृतक के परिजनों को प्रति मृतक रू0 20.00 लाख दिये जाने हेतु जिलाधिकारी सहारनपुर को निर्देशित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi के आदेश क्रम में आवश्यक दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नः मा0 National Green Tribunal, New Delhi के आदेश की छायाप्रति।

भवदीय

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी
सहारनपुर।